न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3125-पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 31-7-14 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 261/अपील/2012-13.

घेलो बाई पुत्री भोपत कतिया
निवासी ग्राम पांजरा
तहसील बनखेड़ी होशंगाबाद .....आवेदिका

विरूद्ध

1. पुन्नो बाई बेवा मोहन लाल
   निवासी ग्राम पांजरा
   तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद
2. मीना बाई पुत्री मोहन लाल
   पत्नी महेश कतिया निवासी ग्राम बीजनवाड़ा
   तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद
3. प्रेमवती बाई पुत्री मोहन लाल
   पत्नी दिनेश कतिया निवासी मातापुर वार्ड
   सोहागपुर, तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद
4. रेशम बाई पुत्री मोहन लाल
   पत्नी रतनलाल कतिया निवासी ग्राम चुरका
   तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद
5. वंशीलाल पिता मोहनलाल कतिया
6. विनोद वल्द मोहनलाल कतिया
   निवासीगण ग्राम पांजरा
   तहसील बनखेड़ी होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक, आवेदिका
श्री अनुराग दुबे, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1,5 व 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/8 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 31-7-14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ग्राम पाजरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 140 रकबा 0.18 एकड़ एवं ग्राम महुआखेड़ा स्थित खसरा क्रमांक 112 रकबा 4.74 एकड़ भूमि के पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु अनावेदिका क्रमांक 1 के पति एवं अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 6 के पिता मोहन लाल द्वारा तहसीलदार बनखेड़ी के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 78/अ-2/2001-02 दर्ज कर दिनांक 30-9-2002 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया जिला होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7-6-2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 31-7-14 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) दो ग्राम में अलग-अलग भूमि दर्ज हो, तब प्रकरण दानों ही ग्रामों के नियम अनुसार अलग-अलग दर्ज किये जाने चाहिए, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा ग्राम पांजरा एवं महुआखेड़ा का एक ही प्रकरण दर्ज किया गया है, जो विधि की दृष्टि से अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अनावेदक विनोद एवं बंशीलाल का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं था और उनके नाम भूमि अंतरित नहीं की जा सकती । प्रकरण बटवारा मद अ-25 में दर्ज हुआ है, जबकि विनोद कुमार एवं बंशीलाल का नामांतरण महुआखेड़ा की

भूमि पर किया गया है । बटवारा उन्हीं व्यक्तियों के मध्य किया जा सकता है, जिनके नाम राजस्व अभिलेखों में सह भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हो ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है । ग्राम महुआखेड़ा में कोई मुनादी जारी नहीं की गई, आवेदिका को नोटिस नहीं दिया गया, फर्द बटान पर आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई और पारिवारिक व्यवस्था पत्र का कोई दस्तावेज न होते हुए भी बटवारा आवेदन स्वीकार किया गया है, जो न्यायोचित न होने से तहसील न्यायालय का आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है, किन्तु आयुक्त द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है ।

(3) आवेदिका तहसील न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुई है, किसी अन्य महिला को आवेदिका के स्थान पर उपस्थित किया गया है । आवेदिका द्वारा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है और अंगूठा निशानी भी भिन्न है, जो प्रथम दृष्टया ही गलत है, इस ओर आयुक्त का ध्यान आकर्षित कराये जाने के बाद भी आयुक्त द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है एवं आदेश में इस बात को स्वीकार किया है कि बटवारे हेतु आवेदिका उपस्थित ही नही है, यह एक गम्भीर मामला है और आपराधिक मामला दर्ज कराया जाना चाहिए था । चूंकि आवेदिका अनुसूचित जनजातिकी ग्रामीण अशिक्षित महिला है, जो कानून नहीं समझती, अत: आयुक्त को इस संबंध में संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही हेतु लिखा जाना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) तहसील न्यायालय एवं आयुक्त द्वारा सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल आदेश पारित किये गये हैं, जिससे शासन को क्षति हुई है, क्योंकि बगैर पंजीकृत हक त्याग विलेख के भूमि का अन्तरण नहीं किया जा सकता है और बिना पंजीकृत हक त्याग विलेख के प्रश्नाधीन भूमि का अन्तरण होने से शासन को राजस्व की हानि हुई है ।

(5) आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं ली गई है, इस ओर आयुक्त द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है और आयुक्त का आदेश विरोधाभासी है, क्योंकि एक ओर तो वह तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को विधि विरूद्ध मानते हुए अंगूठा की भिन्नता के विषय में हस्ताक्षर विशेषज्ञ की राय अवधारित किये जाने का उल्लेख है, जबकि प्रथम दृष्टया ही अंगूठा निशानी अलग-अलग दिख रही है तो हस्ताक्षर विशेषज्ञ की राय का महत्व नहीं रह जाता है । आयुक्त द्वारा मात्र यह लिखकर कि

अपीलीय न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में क्या त्रुटि है, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । आयुक्त द्वारा उनका स्थानांतरण आदेश आने एवं चार्ज देने की अवधि में आनन-फानन मे अभिलेख का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया गया है ।

(6) तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों को समझे बगैर दो ग्रामों की भूमि का बटवारा हेतु एक ही प्रकरण दर्ज कर अनावेदक बंशीलाल एवं विनोद के नाम ग्राम महुआखेड़ा की भूमि का नामांतरण के जो आदेश दिये गये हैं वह संहिता के प्रावधानों के विपरीत है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1, 5 व 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और सहमति के आधार पर पारित आदेश उभय पक्ष पर बंधनकारी है ।

(2) आवेदिका द्वारा अंगूठा निशानी फर्जी होने का कथन किया गया है, किन्तु उसे सिद्ध नहीं किया गया है, जबकि प्रमाण भार आवेदिका पर था ।

(3) तहसील न्यायालय एवं आयुक्त द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित किये गये हैं । आवेदिका तहसील न्यायालय में उपस्थित हुई है और उसके द्वारा पारिवारिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है और न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य अंकित कराये गये हैं । ऐसी स्थिति में आवेदिका अब यह नहीं कह सकती कि वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है और अंगूठा निशानी फर्जी है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र आवेदिका को तहसील न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी नहीं है, के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो विधि विपरीत है । आयुक्त द्वारा आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में विधिवत इस्तहार जारी की गई है एवं कोटवार द्वारा विधिवत तामील कराया गया है, तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका के कथन अंकित किये जाकर पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया है और यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदिका द्वारा सहमति नहीं दी गई है । यदि आवेदिका के साथ छल-कपट हुआ है तो उसे सिद्ध करने का भार आवेदिका पर है । इस प्रकार आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका को कोई सूचना पत्र जारी नहीं की गई है और उसका स्वयं उपस्थित होना सन्देहास्पद है । ऐसी स्थिति में उसकी कथित सहमति पर उसका नाम हटाने की कार्यवाही भी सन्देहास्पद हो जाती है । इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार है, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा बिना हक त्याग अभिलेख के आवेदिका का नाम भूमिस्वामी हक से काट दिया गया है । इस्तहार में मात्र कोटवार ग्राम पांजरा की टीप अंकित है, ग्राम महुआखेड़ा में इस्तहार प्रकाशन का कोई भी अभिलेख संलग्न नहीं है । आयुक्त ने उपरोक्त तथ्यों को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 31-7-14 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-6-2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर